जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 12 / डी–657 दिनांकः 21-5-12

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 88वीं बैठक दिनांकः 18.04.12 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		88:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 87वीं बैठक दिनांक 21.02.12 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 52वीं से 87वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 87वीं बैठक दिनांक 21.02.12:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 87वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अवशेष पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्तों को दिये गये।
2.	10	88:2	जविप्रा की योजना लखेसरा में भूखण्ड संख्या 262 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में देने बावत।	श्री मदन पुत्र श्री दिलेवर मिरासी को भूखण्ड सं. 262 लखेसरा योजना में आवंटित किया गया था, किन्तु उक्त भूखण्ड अस्तित्व में न होने के कारण लखेसरा योजना में भूखण्ड सं. 92 से 96, 182, 183, 190 एवं 223 में से एक भूखण्ड 40 वर्गमीटर का लॉटरी से विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	10	88:3	भूखण्ड संख्या एए–119 योजना सैन्ट्रल स्पाईन के कॉर्नर बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बावत।	श्रीमती सम्पत्त दुग्गड को सैन्ट्रल स्पाईन योजना में आवंटित भूखण्ड सं. एए–119 में 7.06 वर्गमीटर बढे हुए क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	1	88:4	आर्च एज्यूकेशन सोसायटी संस्था से भूखण्ड सं. 9 योजना मालवीय नगर, संस्थानिक क्षेत्र की नजराना राशि विलम्ब से जमा कराने पर प्राधिकरण द्वारा वसूल की गई नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी की राशि संस्था द्वारा वापसी की मांग के संबंध में।	उपायुक्त जोन–1 के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया।
5.	9	88:5	गैलेण्ट्री अवार्ड, शौर्य चक्र धारक श्री कालूराम जाट पुत्र श्री मंगलराम जाट को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन बावत।	शौर्य चक्र धारक श्री कालूराम जाट पुत्र श्री मंगलराम जाट को रामनगरिया विस्तार योजना का भूखण्ड सं. बी–189 क्षेत्रफल 207.90 वर्गमीटर राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	7	88:6	निजी खातेदारी की योजना मेघा कॉलोनाईजर की भूमि में से जविप्रा में समर्पित भूमि 8140.80 वर्गगज में से 1000 वर्ग मीटर भूमि विधुत वितरण निगम जयपुर को सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवंटन बावत।	ग्राम कनकपुरा में महाराणा प्रताप मार्ग पर स्थित निजी खातेदारी की योजना मेघा कॉलोनाईजर की भूमि में से जविप्रा में समर्पित भूमि 8140.80 वर्गगज में से 1000 वर्ग मीटर भूमि जयपुर विधुत वितरण निगम लि० द्वारा 33/11केवी विधुत सब स्टेशन स्थापित किया जाने हेतु चाही गई है। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमाक प.(208)नविवि/3/95पार्ट जयपुर दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर जयपुर विधुत निगम लि0 को 33/11केवी सब स्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	10	88:7	Training awareness and behavior change about health and rehabilitation society (TAABAR SOCIETY) को अनाथ एवं लावारिस बच्चों के पुर्नवास एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु भूमि आंवटन बाबत।	Training awareness and behavior change about health and rehabilitation society (TAABAR SOCIETY) को अनाथ एवं लावारिस बच्चों के पुनर्वास एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु पालडी मीणा बॉम्बे आवासीय योजना के एम ब्लॉक में व्यवसायिक/संस्थानिक/ सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 800 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
8.	13	88:8	राष्ट्रपति पुरष्कार अवार्डी श्रीमति राजेश दुलारी पत्नि श्री वासुदेव सांदू को भूखण्ड आवंटन किये जाने के क्रम में।	राष्ट्रपति पुरूस्कार अवार्डी श्रीमति राजेश दुलारी पत्नि श्री वासुदेव सांदू को राजभवन योजना में भूखण्ड सं. बी–209 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का आवंटन राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष बढे हुए 20 वर्गमीटर की दर व आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
9.	13	88:9	राष्ट्रपति पुरष्कार अवार्डी श्री लालचन्द मोयल पुत्र श्री शिव बगस को भूखण्ड आवंटन किये जाने के क्रम में।	राष्ट्रपति पुरष्कार अवार्डी श्री लालचन्द मोयल पुत्र श्री शिव बगस को राजभवन योजना में भूखण्ड सं. बी–208 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का आवंटन राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष बढे हुए 20 वर्गमीटर की दर व आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	88:10	राणा राजपूत सेवा समिति को ग्राम–बढारना तहसील–आमेर, प्रोजेक्ट सैल द्वारा सृजित योजना में से 3000 व.मी. भूमि आवंटित करने बाबत।	मास्टर प्लान 2025 में भूमि का उपयोग आवासीय होने के कारण प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

11.	13	88:10(1)	जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सीकर रोड में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन (JCTSL) को भूमि आरक्षित करने की शर्तो के संबंध में।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सीकर रोड में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन (JCTSL) को 20000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय एलपीसी की बैठक दिनांक 23.11.11 में लिया गया था। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन (JCTSL) व जविप्रा के मध्य एम0ओ0यू0 व निम्न शर्तों के अनुसार भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया :– JDA may hand over the possession on following conditions: a. The possession of land will give JCTSL right to use only the land for the purpose it has been reserved and title of the land will remain with JDA. b. JCTSL will use the land for maintenance and parking of the buses only. c. JCTSL will be allowed to create necessary civil structure on the land as per the norms of JDA. निर्णय का राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जावे।
12.	8	88:10(2)	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 को बस डिपो एवं अन्य उपयोग हेतु भांकरोटा, अजमेर रोड में भूमि आरक्षित करने बाबत्।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना, भांकरोटा अजमेर रोड में 34229.12 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय एलपीसी की बैठक दिनांक 23.11.11 में लिया गया था। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन (JCTSL) व जविप्रा के मध्य एम0ओ0यू0 व निम्न शर्तों के अनुसार भूमि का कब्जा सपूर्द करने का निर्णय लिया गया :– JDA may hand over the possession on following conditions:

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				a. The possession of land will give JCTSL right to use only the land for the purpose it has been reserved and title of the land will remain with JDA. b. JCTSL will use the land for maintenance and parking of the buses only. c. JCTSL will be allowed to create necessary civil structure on the land as per the norms of JDA. निर्णय का राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जावे।
13.	13	88:10(3)	राजस्थान नेटवर्क फॉर लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स 241, गुरूकृपा–1, शिवनगर ए, हरनाथपुरा, निवारू लिंक रोड, झोटवाडा, जयपुर को खसरा नं. 624 संस्थानिक योजना कानोता भूमि आंवटन के संबंध में।	राजस्थान नेटवर्क फॉर लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स 241, गुरूकृपा–1, शिवनगर ए, हरनाथपुरा, निवारू लिंक रोड, झोटवाडा, जयपुर को खसरा नं. 624 संस्थानिक योजना कानोता मे निदेशक, राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी, राजस्थान सरकार जयपुर की अनुशंषा की शर्त पर सैद्धान्तिक रूप से 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	9	88:10(4)	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रकरण में श्री राजवीर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी कोटे के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र दिनांक 16.11.10 प्राप्त हुआ है। राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अनुसार ओलम्पिक या पैरा ओलम्पिक, एशियाड या कॉमन वैल्थ खेलों में पदक प्राप्त करने वाले या अर्जुन अवार्डी को अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटित करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र उक्त श्रेणी में नहीं आने के कारण राज्य सरकार को पत्र दिनांक 24.06.11 को लिखा जाकर मार्गदर्शन चाहा गया कि श्री राजवीर सिंह द्वारा VII साउथ ऐशियन गैम्स 1995 मद्रास में 800 मीटर दौड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.01.92 के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है अथवा नहीं। राज्य सरकार ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.11 में राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 31 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो में शिथिलता प्रदान करते हुये श्री राजवीर सिंह को 220 वर्गमीटर का भूखण्ड वर्तमान आरक्षित दर का 50 प्रतिशत पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः श्री राजवीर सिंह को रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड सं. सी–31 क्षेत्रफल 265.80 वर्गमीटर में से 220 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। शेष क्षेत्रफल 45.80 वर्गमीटर की दर निर्धारण व कॉर्नर भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।
15.	10	88:10(5)	पुलिस विभाग को पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु ग्राम खो–नागोरियान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 हेक्टे. में से 6404 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत।	गृह विभाग से पुलिस चौकी को आवंटित करने बाबत भूमि के मापदण्ड की जानकारी ली जाकर प्रकरण मय औचित्य के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
16.	11	88:10(6)	राजस्थान पेंशनर समाज बगरू को भूमि आवंटन/आरक्षण हेतु। अति० आ… (ज़ो.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान पेंशनर समाज बगरू ने समाज के कार्यक्रम संचालन हेतु ग्राम बगरू तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1595 रकबा 0.09 हेक्टे. भूमि के आवंटन हेतु अनुरोध किया है। उक्त भूमि जविप्रा की खातेदारी में होकर किस्म जमीन गै0मु0 आश्रम के रूप में दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नं. में पुराना कमरा व बरामदा बना हुआ है, जिसे पेंशनर समाज बैठक आयोजित करने के काम में ले रहा है। उपरोक्त भवन पेंशनर समाज बगरू को निम्न शर्तो के साथ

			उपयोग में लेने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया :– 1. उपरोक्त भूमि एवं भवन राजस्थान पेंशनर समाज बगरू को केवल उपयोग करने हेतु दी जा रही है। भूमि का स्वामित्व सदैव जयपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा। 2. राजस्थान पेंशनर समाज उपरोक्त भूमि को अन्य किसी को हस्तान्तरित /बेचान/किराये /लीज इत्यादि पर नहीं दे सकेगा। 3. उपरोक्त भूमि पर भविष्य में किसी प्रकार के निर्माण से पूर्व जेडीए से अनुमति ली जावेगी। निर्माण का व्यय राजस्थान पेंशनर समाज बगरू वहन करेगा। लेकिन निर्मित भवन का स्वामित्व जेडीए का रहेगा। 4. उपरोक्त भवन के रख रखाव का खर्चा राजस्थान पेंशनर समाज वहन करेगा तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार जविप्रा से पूर्वानुमति प्राप्त कर मरम्मत कार्य करवा सकेगा। 5. उपरोक्त भूमि एवं भवन को अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रायः देखा गया है कि जविप्रा की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल बढ जाने पर छोटी पट्टी के तहत बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के प्रावधानानुसार ऐसे प्रकरणों का निर्णय उपायुक्तगण अपने स्तर पर सक्षम स्वीकृति से करावे। बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 88वी बैठक दिनांक 18.04.12 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री राजन विशाल , सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एन.के. खरे निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री एन.सी. माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी. गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
9.	श्रीमती वीनू निहलानी, निदेशक (विधि)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–II)	विशेष आमंत्रित
11.	श्री रामावतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राकेश शर्मा, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
13.	श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
15.	श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
16.	श्री ओंकार मल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
17.	श्रीमती ज्योति चौहान, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
18.	श्री योगेश श्रीवास्तव, उपायुक्त जोन–15	विशेष आमंत्रित
19.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित